127

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–सागर 3221-986-II-16

1– महादेव प्रसाद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद

2– गिरजेश प्रसाद पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद सोनी निवासीगण – सिविल लाईन सागर तहसील व जिला – सागर (म.प्र.)

..... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा उपंजीयक मुद्रांक पथरिया तहसील पथरिया जिला दमोह

2– ज्ञानचन्द्र पुत्र श्री हरप्रसाद निवासी – बड़ा बाजार सागर (म.प्र.)

3– गोपाल प्रसाद पुत्र श्री गोरीशंकर मुखरैया निवासी – जालापुर तहसील पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

..... प्रति प्रार्थीगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 365–दो/2002 अपील को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 549/बी–105/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2001 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 365/दो/2002 प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 09.03.2016 नियत थी।

2– यहकि, उक्त तारीख पेशी के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा सूचना पत्र दिनांक 09.03.2016 के संबंध में दिया गया था। जो अपीलार्थी को प्राप्त हो गया था किन्तु वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उक्त प्रकरण पूर्व से ग्वालियर के स्थानीय अधिवक्ता श्री के.के.द्विवेदी पैरवी कर रहे थे और अपीलार्थी इस विश्वास में रहा। कि अधिवक्ता स्वंय उपस्थित होकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही करेगे। किन्तु उक्त प्रकरण पूर्व पेशियों पर केम्प सागर के लिये नियत कर दिया गया था ओर बाद में ग्वालियर में लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता भी उपरोक्त प्रकरण की तारीख पेशी के संबंध में अनभिज्ञ थे। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा तारीख

रेफ्ट. 986-II/16 स्थगन

17-8-16 न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 365-दो/2002 निगरानी आदेश दिनॉक 9-3-2016 से आवेदक के अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है, जिसके पुर्नस्थापन हेतु आवेदक के अभिभाषक ने यह आवेदन प्रस्तुत कर मांग की है एंव बताया है कि अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जावे एंव दिनांक 9-3-2016 को अनुपस्थिति क्षमा की जाकर प्रकरण पुर्नस्थापित कर गुणदोष पर सुनवाई की जावे।

2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने के उपरांत प्रकरण कमांक 365-दो/2002 निगरानी पुनस्थापित किया जाकर इस प्रकरण को इसी-स्तर पर समाप्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति प्रकरण कमांक 365-दो/2002 निगरानी में रखते हुये अनावेदकगण को सूचना जारी की जावे।

सदस्य